ायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा

अध्याशितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
231 / 13	15.03.2013	9-12-2024

उनवान

1. सुमेर खां पुत्र नजवू जाति मेव निवासी बाघोडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0। (मृतक)

1/1. जुहरू खां पुत्र सुमेर खां

1/2. आमीन खां पुत्र सुमेर खां

1/3. रमजान खां पुत्र सुमेर खां

1/4. मौजवी वेवा सुमेर खां जाति मेव निवासी बाघोडा तह0 किशनगढबास।

2. रूजदार पुत्र नजवू (मृतक)

2/1. जुम्मी वेवा रूजदार

2/2. सुब्बा खां पुत्र रूजदार जाति मेव नि0 बाघोडा तहसील किशनगढबास।

:–वादीगण

बनाम

1. असरू खां
2. नसरू खां पुत्रान चावखां जाति मेव नि0 बाघोडा तह0 किशनगढबास जिला हाल खैरथल–तिजारा राज0।

:–प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय इंद्राज दुरूस्ती व हुक्इम्तनाई
दवामी जेर दफा 88,89,188 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थितिः–1. वादीगण की ओर से श्री कमरूदीन जी वकील।
2. प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

वादीगण द्वारा पेश वाद के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–

वादीगण ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि साविक आराजी खसरा नं0 1427 मिन रकवा 0–04 विस्वा, 1428 मिन रकवा 1 बीघा वाके ग्राम बाघोडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर थे। जिन हरदो नम्बरान को दौराने सैटलमेंट नए नम्बर 266 रकवा 1 बीघा 4 विस्वा पैमूद करते वक्त ग्राम बाघोडा की भूमि को ग्राम बृसंगपुर की अंकित करते हुए हाल खसरा नं0 266 रकवा 1 बीघा 4 बिस्वा पैमूद किया गया है जो आराजी प्रस्तुत वाद मे विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल मिलान क्षेत्रफल संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

विवादित आराजी हम वादीगण के दादा श्री निवाज खां की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी जिनकी फौतगी के वाद आराजी मुतदाविया हम वादीगण के पिता नजबू व सगरू खां दोनो भाईधों के नाम समान समान भाग में दर्ज हो गई तथा सगरू के कोई वच्चा या पत्नि नही थी लिहाजा सगरू के देहावसान के बाद उनकी विरासत वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता चाव खां के वहिस्से बराबर चढनी चाहिऐ थी लेकिन चावखां जो वादीगण का भाई था वो ही तहसील व अदालत में जाया करता था उसने बतौर बदयान्ती सगरू के मरने के बाद उसके हिस्से की आराजी की विरासत स्वयं के नाम चढवा ली जवकि सगरू की विरासत सुमेर, चावखां, रूजदार के बराबर हिस्से में चढनी चाहिऐ थी।

सजरा परिवार निम्न प्रकार से है:–

नवाज खां

....

नजवू   सगरू खां (लावल्द बिला औरत फौत)

.... |..

चाव खां (फौत)   सुमेर खां पी.   रूजदार खां पी.

.... |....................

असरू खां   नसरू खां

डी.   डी.

सगरू के देहावसान के बाद वादीगण सुमेर, रूजदार व प्रतिवादीगण का पिता चावखां वहिस्सा बराबर यानि 1/3,1/3,1/3 भाग पर काबिज. व दखिल होकर काश्त कारोबार करते रहे है। तथा चावखां फौत हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादीगण 1/3 हिस्सा पर काबिज हैं। तथा सगरू के देहावसान के बाद बाघोडा गांव की आराजी में सगरू का हिस्सा था उसकी विरासत सही प्रकार से वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता के नाम चढ गया जो इंतकाल संख्या 368 दर्ज हुआ लेकिन आराजी मुतदाविया गलत तरीके से सगरू की विरासत तन्हा चावखां के नाम दर्ज होकर इन्द्राज सं0 2029 सैटलमेण्ट से लेकर ता हाल मृतक चावखां व प्रतिवादीगण के नाम का चला आ रहा है जो अंकन सरीहन गलत खिलाफ कानून , खिलाफ मौका विपरीत रिकार्ड ऑफ राईट्स अंकन हुआ है। जिसे हजफ कराकर विवादित आराजी हाल खसरा सं0 266 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम बृसंगपुर तह0 किशनगढवास के वादीगण 2/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण 1/3 भाग के खातेदार है। तथा इसी कदर से राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराकर अंकन कराने के वादीगण हकदार है कि डिकी वादीगण हासिल करने के अधिकारी है। जिसके लिए दावा इश्तकरारहक मय इन्द्राज दुरूस्ती दायर करना लाजिम आया है।

यदि वाकई प्रतिवादीगण अपने इन नापाक मंसूबों में कामयाब हो गये तो वादीगण को हर सूरत में अजहद हानि होगी दीगर मुकदमा बाजी में उलझना पडेगा हकूक वादीगण पर आवरण छा जावेगा। जिसकी पूर्ति किसी भी कीमत में रूपयों में नही आंकी जा सकेगी।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी पावन्द कराने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि हस्ब जैल दादरसी अता फरमाई जावेः—

अ— डिक्री इजाय इश्तकरारहक बहक वादीगण पारित की जाकर घोषित किया जावे कि आराजी हाल ख0सं0 266 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम बृसंगपुर तह0 किशनगढबास जिला अलवर हाल खैरथल—तिजारा राज0 के 2/3 भाग के वादीगण व 1/3 भाग के प्रतिवादीगण काबिज काश्त खातेदार काश्तकार है। तथा जो अंकन दर्ज राजस्व रिकार्ड हो रहा है वो सरीहन गलत है हकूक वादीगण के विरूद्ध बातिल व बेअसर है जिसे हजफ किया जाकर वादीगण को 2/3 भाग व प्रति0 को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड फरमाया जावे।

ब— जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी प्रति0 को पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी का कोई जुज किसी भी दीगर सख्स को रहन बैय हिबा लिज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही वादीगण को 2/3 भाग से जब्रन बेदखल करे, ना ही कब्जा काश्त मे मजाहमत व मदाखलत पैदा करे।

स— खर्चा हर्जा मुकदमा का वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

द— दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुनासिब हो बहक वादीगण बख्सी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया बावजूद तामील प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

वादी ने बतौर गवाह पीडब्लू—1 सुब्बा खा पुत्र रूजदार, पीडब्लू—2 अरसद पुत्र अल्लाबक्श, पीडब्लू—3 जमील पुत्र सफेदा के शपथ पत्र पेश किये एवं दस्तावेजात साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2005 प्रदर्श—1, नकल जमाबंदी सवत 2005 प्रदर्श—2, नकल जमाबदी सवत 2005 प्रदर्श—3, नकल नामान्तरण सं0 274 प्रदर्श—4, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2029 प्रदर्श—5, जमाबंदी संवत 2029 प्रदर्श—6, जमाबंदी संवत 2017 प्रदर्श—8, जमाबंदी संवत 2013, नकल जमाबंदी संवत 2013 प्रदर्श—9 पेश किये।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस मे वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी ख0न0 1427 मिन रकबा 0—04 बिस्वा, 1429 मिन रकबा 1 बीघा वाके ग्राम बाघोडा जिनके नये नम्बर 266 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा सैटलमेंट पैमूद करते वक्त बाघोडा की भूमि को ग्राम बृसंगपुर अंकित करते हुए पैमूद किये गये। जिसके बाबत मिलान क्षेत्रफल संवत 2029 पेश किया है विवादित आराजी वादीगण के दादा निवाजखां की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी जिसकी फौतगी के बाद वादीगण के पिता नजबू व सगरू खां दोनो भाईयो के नाम समान भाग में दर्ज हुई। लेकिन सगरू के कोई बच्चा या पत्नि नही था तो सगरू की मृत्यु के बाद विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण को सजरेनुसार समान भाग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन सगरू के देहावसन के बाद बाघोडा ग्राम की आराजी में सगरू का

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल—तिजारा)

हिस्सा था उसकी विरासत सही प्रकार से वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता के नाम आ गई जो इंतकाल सं0 368 दर्ज हुआ। लेकिन विवादित आराजी हाल खसरा सं0 266 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास के वादीगण 2/3 व प्रतिवादीगण 1/3 भाग होना चाहिए था लेकिन संपूर्ण रकबा ही प्रतिवादीगण के नाम हो गया। अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त कर हिस्सेनुसार वादीगण के नाम का अंकन किया जावे।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्यौपान्त अवलोकन किया। नकल मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से साबित है कि हाल ख0न0 266 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा साविक ख0न0 1427 रकबा 0–04 बिस्वा, 1428 रकबा 1 बीघा से पैमूद हुए है। तथा जमाबंदी संवत 2013 जो प्रदर्श–7 में विवादित आराजी ख0न0 1427 का रकबा 18 बिस्वा में नजबू पुत्र बाजखां मेव पटटेदार दर्ज है। तथा इसी प्रकार 1428 का रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा जो प्रदर्श–9 में नजबू व सगरू सम्भाग के खातेदार है।इसी प्रकार सगरू की मृत्यु उपरान्त इंतकाल सं0 274 का अमल आया जो प्रदर्श–4 के खाना सं0 14 में कायमी खातेदार लिखा हुआ है जबकि खाना नं0 5 मे सगरू पिता नवाज खां मेव खातेदार दर्ज है और खाना नं0 11 में चांवखा पिता नजबू साकिन देह खातेदार 1/2 हिस्सा पटवारी द्वारा दर्ज किया है। इस इंतकाल को दर्ज किये जाने का कोई आदेश अंकित नही है। पटवारी हल्का ने खाना नं0 16 दर्ज किया है कि श्रीमान बैरूये रिकार्ड व मौका सगरू मालिक खातेदार 1/2 हिस्सा खाता सं0 93 जमा0 सं0 2017 यह इंतकाल किस आदेश से दर्ज किया हुआ है कतई ज्ञात नही होता है। जब सगरू इस आराजी का पूर्व में ही खातेदार दर्ज था तो यह इंतकाल कायमी खातेदारी का किस प्रकार दर्ज किया गया कोई पता नही लगता है। कानूनन यह इंतकाल गलत दर्ज हुआ है। जब सगरू फौत हुआ तो उसकी विरासत का इंतकाल खोला जाना चाहिए था और वह भी सुमेर, चांवखां, रूजदार तीनों के नाम समान भाग होना चाहिए था। वाद में दर्ज सजरे के मुताबिक एवं इंतकाल सं0 368 दिनांक 14.03.1991 के मुताबिक सगरू के कानूनन वारिस सुमेर, चांवखां व रूजदार ही थे। इंतकाल नं0 274 में अकेले चांवखां के नाम आराजी विवादित दर्ज किया जाना कतई विधि विरूद्ध था जो न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 31.01.2006 के द्वारा खारिज कर मृतक सगरू की आराजी को वादीगण व प्रतिवादीगण में समान भाग में किये जाने का आदेश पारित किये गये थे। केवल विवादित आराजी ख0न0 266 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा सहवन से दुरूस्त होना रह गया है जिसे मुताबिक राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

अतः आदेश है कि :–

वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण एक पक्षीय डिक्री किया जाकर आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी ख0न0 हाल 266 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास के 2/3 भाग के 1/3, 1/3 हिस्सा पर वादीगण व 1/3 हिस्सा पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाता है तथा हाल जमाबंदी में जो अमल प्रतिवादीगण का 2/3 व वादीगण का 1/3 हिस्से का अंकन हो रहा है उसे हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)